प्रेस विज्ञप्ति
19.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बनमीत सिंह, परविंदर सिंह और अन्य द्वारा अवैध दवाओं की बिक्री के मामले में चल और अचल संपत्ति के रूप में 18/07/2024 को कुल 9.67 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सीमा पार आपराधिक गतिविधियों का हवाला देते हुए अमेरिकी अधिकारियों से पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) अनुरोध के आधार पर जांच शुरू की। बनमीत सिंह, परविंदर सिंह और अन्य ने एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी समूह का संचालन किया, जिसे सिंह डीटीओ (मादक पदार्थ तस्करी संगठन) के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यूएसए और यूके जैसे देशों में दवाएं बेचने के लिए डार्कवेब विक्रेता साइटों, नियमित वेबसाइटों पर मुफ्त विज्ञापनों और वितरकों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। संगठन को डार्क वेब बाजारों के माध्यम से क्रिप्टो मुद्रा में दवा की बिक्री से आय प्राप्त हुई और फिर बैंक खातों के माध्यम से इन फंडों को वास्तविक मुद्रा में बदल दिया गया। दोनों भाइयों ने सिल्क रोड 1, अल्फा बे और हंसा सहित विभिन्न डार्क वेब प्लेटफार्मों पर उपनाम "लिस्टन" का उपयोग किया।

सिंह बंधुओं से जुड़े स्थानों पर 26/4/2024 और 1/5/2024 को तलाशी अभियान चलाया गया। इसके बाद, परविंदर सिंह और बनमीत सिंह को क्रमशः 27/04/2024 और 29/07/2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया। ईडी की हिरासत के दौरान, पीएमएलए के तहत एक और तलाशी हल्द्वानी में की गई, जिसके परिणामस्वरूप 268 बिटकॉइन बरामद हुए जो 130 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के बराबर हैं। वे फिलहाल देहरादून की सुद्धोवाला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।